

I/186076/2024

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग
मुख्य अभियंता का कार्यालय
ऊपरी गंगा बेसिन संगठन



Government of India
Ministry of Jal Shakti
Dept. of Water Resources, RD&GR
Central Water Commission
Office of Chief Engineer
Upper Ganga Basin Organization

सेवा मे

श्री अमरजीत सिंह पुत्र रामसिंह,
पिपलिया फार्म, बसगर
उद्धमसिंघ नगर ,
उत्तराखंड 263151

विषय : श्री अमरजीत सिंह की RTI application no CWCND/R/P/24/00002 dt 12.09.2024 under RTI Act-2005 reg

सन्दर्भ : आर टी आई आवेदन दिनांक 03.09.2024 (इस कार्यालय को दिनांक 12.09.2024 को प्राप्त हुई)

महोदय

उपरोक्त आवेदन में मांगी गयी वान्छित जानकारी अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त होने के उपरांत संलग्न है तथा आपसे आग्रह है कि बिन्दु संख्या 1 में मांगी गयी जानकारी के लिए रु 278/- जमा कराए जिससे वान्छित जानकारी दी जा सके।

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के जवाब के खिलाफ प्रथम अपील, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के जवाब प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर इस संगठन के प्रथम अपीलीय अधिकारी से किया जा सकता है। इस संगठन के प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री अनुपम प्रसाद, मुख्य अभियंता, ऊपरी गंगा बेसिन संगठन केन्द्रीय जल अयोग, जाल्हीसदन 21/496, इन्दिरा नगर, लखनऊ - 226016 (उ० प्र०) ई-मेल : ceugbo-cwc@nic.in दूरभाष स. 0522-2715832 हैं।

संलग्नकः उपरोक्त

Signed by Shiv Sunderभवदीय
Singh
Date: 08-10-2024 18:08:17
Reason: Approved

(शिव सुन्दर सिंह)
अधीक्षण अभियंता (समन्वय) एवं सीपीआईओ

प्रति,

उप निदेशक एवं नोडल अधिकारी (आरटीआई), जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली ।
अधिशासी अभियंता, मध्य गंगा मण्डल । लखनऊ को रुपए 20/- आईपीओ संख्या 254033016 जमा कराने हेतु ।

I/185929/2024(1)

सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केन्द्रीय जल आयोग
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
मध्य गंगा मण्डल-1



Government of India
Ministry of Jal Shakti
Dept. of Water Resources RD & GR
Central Water Commission
Office of the Executive Engineer
Middle Ganga Division-1

पत्रांक: 33(1)/मगंम-1/लख/2024/

दिनांक:

सेवा में,

निदेशक

प्रबोधन एवं मूल्यांकन निदेशालय

केन्द्रीय जल आयोग

लखनऊ

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपके ई-मेल दिनांक 18.09.2024 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त सन्दर्भित पत्रांक के अनुक्रम में आपको सादर सूचित करना है कि Shri Amarjeet Singh S/o Ram Singh, Pipaliya Farm, Basgar Udham Singh Nagar, Uttarakhand, Pin Code - 263151 के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम- 2005 के अन्तर्गत किये गये आवेदन द्वारा वांछित इस कार्यालय से सम्बन्धित सूचना निम्नवत है -

क्र. सं.	वांछित सूचना	उपलब्ध सूचना
1	9 फरवरी 2024 को हुए आउटसोर्सिंग स्टाफ के नये टेंडर की एक प्रति प्रार्थी को उपलब्ध करवाने की कृपा करे अगर नहीं दी जाती है तो क्यों और किस आधार पर? कारण स्पष्ट करें।	वांछित सूचना इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है।
2	मानसून सत्र मे रात्रि का फोटो किस-किस सब डिवीजन में 1 जुलाई से 31 अगस्त तक आया है सभी सब डिवीजनो में डाला जा रहा हैं तो उसकी फोटो एक-एक प्रति प्रार्थी को उपलब्ध कराने की कृपा करे अगर नहीं दी जाती है तो क्यों और किस आधार पर? कारण स्पष्ट करें। फोटो प्रति प्राप्त करने का शुल्क का भुगतान प्रार्थी करेगा।	वांछित सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है।
3	अधिशासी अभियन्ता श्री सर्वजीत कुमार सिंह ने सपोर्ट स्टाफ के टेंडर बनाने से पहले सभी 83 साइटो को निरीक्षण किया था? अगर किया था तो साइटों पर रुकने की समस्या रोड से 2:30 से 4 किमी अंदर जंगली इलाको में जाने की समस्या के बाबजूद टेंडर में डिजिटल डाटा क्यों दर्शाया गया और किस आधार पर? सही व सत्य कारण स्पष्ट करें।	वांछित सूचना इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है।
4	केन्द्रीय जल आयोग में जनसूचना अधिकारी अधिनियम 2005 के तहत सूचनाएँ माँगने पर ससमय सूचना प्रार्थी को नहीं दी जाती है अधिकारी इसका उल्लंघन क्यों और किस आधार पर करते हैं? कारण स्पष्ट करें।	वांछित सूचना आर.टी.आई. अधिनियम 2005 के अनुरूप नहीं होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना आवश्यक नहीं है।
5	केन्द्रीय जल आयोग में विभिन्न स्थानो पर कार्यरत सपोर्ट स्टाफ से अधिकारीगण कोई विभागीय कार्य करवाते हैं तो आर्डर लिखित में क्यों नहीं दिया जाता हैं By मैसेज क्यों दिया जाता है और किस आधार पर? कारण स्पष्ट करें।	वांछित सूचना आर.टी.आई. अधिनियम 2005 के अनुरूप नहीं होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना आवश्यक नहीं है।

I/185929/2024(1)

सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केन्द्रीय जल आयोग
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
मध्य गंगा मण्डल-1



Government of India
Ministry of Jal Shakti
Dept. of Water Resources RD & GR
Central Water Commission
Office of the Executive Engineer
Middle Ganga Division-1

6	केन्द्रीय जल आयोग में अगर किसी J.E. या अधिकारी के गलत कार्य करने व गलत व्यवहार की शिकायत की जाती हैं तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने की बजाय उच्च अधिकारीगण उसको बचाने का रास्ता तलाश करने लगते हैं ऐसा क्यों और किस आधार पर किया जाता है। कारण स्पष्ट करें।	वांछित सूचना आर.टी.आई. अधिनियम 2005 के अनुरूप नहीं होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना आवश्यक नहीं है।
7	J.E. श्री सृजन रस्तोगी साइट मीरगंज, धनेटा शेरगढ़ के नाम पर फर्जी दूर बना कर सरकारी गाड़ी से वाहन सं० UP25 DA 8553 अपनी ससुराल गये हैं इस मामले में अभी तक न तो गाड़ी के ड्राइवर से उसका टोल स्टेटमेंट मांगा गया है और न ही कोई उचित कार्यवाही हुई ऐसा क्यों हुआ और किस आधार पर? कारण स्पष्ट करें।	वांछित सूचना इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है।
8	सब डिवीजन बरेली से ही रात्रि के फोटो ग्राफ क्यों मोंगे जा रहे हैं अन्य सब डिवीजन से क्यों नहीं? और किस आधार पर कारण स्पष्ट करें।	वांछित सूचना आर.टी.आई. अधिनियम 2005 के अनुरूप नहीं होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना आवश्यक नहीं है।
9	J.E. श्री सृजन रस्तोगी द्वारा सभी सपोर्ट स्टाफ को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा हैं 9000 रु की नौकरी करने वाले सपोर्ट स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया जा रहा हैं केन्द्रीय जल आयोग के उच्च अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में कार्यवाही क्यों नहीं है क्यों नहीं की जा रही है और किस आधार पर? कारण स्पष्ट करें।	वांछित सूचना इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है।
10	J.E. श्री सृजन रस्तोगी को सबडिवीजन बरेली के 5 सुपरवाइजरों की एक गलती नजर नहीं आती है और सपोर्ट स्टाफ की एक-एक गलती नजर आती हैं। ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है सब डिवीजन बरेली में और किस आधार पर? कारण स्पष्ट करें।	वांछित सूचना इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है।
11	केन्द्रीय जल आयोग की साइट भटपुरवा जिला सीतापुर (उ० प्र०) में J.E. श्री सौरभ दूबे और अधिशासी अभियन्ता श्री सर्वजीत कुमार सिंह ने मिलकर वहां पर खड़े नीम के पेड़ यू० के० लिप्टिस के पेड़ और आम के पेड़ कुल मिलाकर लगभग 12 पेड़ कटवा कर बेच लिए जिसकी कुछ कीमत से आधी टूटी दीवार बनवा ली और बाकी पैसा हजम कर गये काटे गये नीम के पेड़ व आम के पेड़ की परमीशन S.D.M. या वनविभाग से ली होगी उसकी एक प्रति प्रार्थी को उपलब्ध करवाने की कृपा करें अगर नहीं दे सकते तो क्यों और किस आधार पर ? कारण स्पष्ट करें।	वांछित सूचना इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है।

उक्त आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

Signed by Shobhit Chandra
(शोभित चन्द्र मिश्रा)
Mishra
Date: 07-10-2024 15:08:43
Reason: Approved

प्रतिलिपि सादर सूचनार्थ:-

अधीक्षण अभियन्ता (स.), ऊपरी गंगा बेसिन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग
जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल, देहरादून



Government of India
Ministry of Jal Shakti
Dept. of Water Resources, RD&GR
Central Water Commission
Hydrological Observation Circle, Dehradun

पत्रांक : A-52/11/2021-HOC-DEHRADUN-Part(1) / 448

दिनांक 04/10/2024
04/10/2024

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता (समन्वय)
ऊपरी गंगा बेसिन संगठन
केन्द्रीय जल आयोग,
लखनऊ।

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आरटीआई आवेदक श्री अमरजीत सिंह के आवेदन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-आपका पत्रांक : I-12011/32/2023-UGBO/413-414 दिनांक - 18/09/2024।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत श्री अमरजीत सिंह, पपलिया फार्म, बसगर उधमसिंहनगर, उत्तराखंड, पिन - 263151 के द्वारा, इस परिमंडल के अधीनस्थ कार्यालयों से सम्बन्धित मांगी गयी सूचना संलग्न कर अग्रिम कार्रवाई हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्न:- यथोक्त।

भवदीय,

(सुधीर कुमार)

अधीक्षण अभियंता
अधीक्षण अभियन्ता
Superintending Engineer
ज.वि.प्रे.परि., के.ज.आ., देहरादून
H.O.C., C.W.C., DEHRADUN

156, वसंत विहार,
फेज-1, देहरादून-248006
दूरभाष: 0135-2761562,
फैक्स-0135-2760631,
ई मेल: sehocdehradun-cwc@nic.in

जल संरक्षण-सुरक्षित भविष्य



156, Vasant Vihar,
Phase-1, Dehradun-248006
Tel: 0135-2761562,
Fax-0135-2760631
E-mail: sehocdehradun-cwc@nic.in

Conserve Water- Save Life



पत्रांक संख्या - 01/13/HGD/2023/ 4552-53

दिनांक- 03/10/2024

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल,
केन्द्रीय जल आयोग,
देहरादून।

विषय- सूचना के अधिकार अधिनियम- 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

सन्दर्भ- आपके ई-मेल दिनांक 26.07.2024 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपयुक्त संदर्भित पत्रांक के अनुक्रम में आपको सादर सूचित करना है कि Shri Amarjeet Singh S/o Ram Singh, Pipaliya Farm, Basgar Udham Singh Nagar, Uttarakhand Pin Code-263151 के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम -2005 के अंतर्गत किये गये आवेदन द्वारा वांछित इस कार्यालय से संबंधित सूचना निम्नवत है-

क्र. सं.	वांछित सूचना	उपलब्ध सूचना
1.	9 फरवरी 2024 के हुए आउटसोर्सिंग स्टाफ के नए टेंडर की एक प्रति प्रार्थी को उपलब्ध करवाने की कृपा करें अगर नहीं दी जाती है तो क्यों और किस आधार? पर कारण स्पष्ट करें।	वांछित सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।
2.	मानसून सत्र में रात्रि का फोटो किस-किस सब डिवीजन 31 अगस्त तक आया है सभी सब डिवीजन में डाला जा रहा है तो उसकी फोटो एक-एक प्रति प्रार्थी को उपलब्ध कराने की कृपा करें अगर नहीं दी जाती है तो क्यों और किस आधार पर ? कारण स्पष्ट करें। फोटो प्रति प्राप्त करने का शुल्क का भुगतान प्रार्थी करेगा।	वांछित सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।
3.	अधिशासी अभियंता श्री सर्वजीत कुमार सिंह ने सपोर्ट स्टाफ के टेंडर बनाने से पहले सभी 83 साईटों को निरीक्षण किया गया था ? अगर किया था तो सीटों पर रुकने की समस्या रोड से 2:30 से 4 किमी अंदर जंगली इलाकों में जाने की समस्या के बावजूद टेंडर में डिजिटल डाटा क्यों दर्शाया गया और किस आधार पर ? सही व सत्य कारण स्पष्ट करें।	वांछित सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।

	आधार पर ? सही व सत्य कारण स्पष्ट करें ।	
4.	केंद्रीय जल आयोग में जन सूचना अधिकारी अधिनियम 2005 के तहत सूचनाये मांगने पर ससमय सूचना प्राप्ति को नहीं दी जाती है अधिकारी इसका उल्लंघन क्यों और किस आधार पर करते हैं ? कारण स्पष्ट करें ।	वांछित सूचना आर.टी.आई. अधिनियम 2005 के अनुरूप नहीं होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना आवश्यक नहीं है ।
5.	केंद्रीय जल आयोग में विभिन्न स्थानों पर कार्यरत सपोर्ट स्टाफ से अधिकारीगण कोई भी विभागीय कार्य करवाते हैं तो ऑर्डर लिखित में क्यों नहीं दिया जाता है By मैसेज क्यों दिया जाता है और किस आधार पर ? कारण स्पष्ट करें ।	वांछित सूचना आर.टी.आई. अधिनियम 2005 के अनुरूप नहीं होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना आवश्यक नहीं है ।
6.	केंद्रीय जल आयोग में अगर किसी JE या अधिकारी के गलत कार्य करने व गलत व्यवहार की शिकायत की जाती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने की बजाय उच्च अधिकारीगण उसको बचाने का रास्ता तलाश करने लगते हैं ऐसा क्यों और किस आधार पर किया जाता है । कारण स्पष्ट करें ।	वांछित सूचना आर.टी.आई. अधिनियम 2005 के अनुरूप नहीं होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना आवश्यक नहीं है ।
7.	JE श्री सृजन रस्तोगी साइट मीरगंज धनेटा शेरगढ़ के नाम पर फर्जी ट्रू बनाकर सरकारी गाड़ी से वाहन संख्या UP25 DA 8553 अपनी ससुराल गए इस मामले में अभी तक न तो गाड़ी के ड्राइवर से उसका टोल स्टेटमेंट मांगा गया है और ना ही कोई उचित कार्यवाही हुई ऐसा क्यों हुआ और किस आधार ? पर कारण स्पष्ट करें ।	वांछित सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं है ।
8.	सब डिवीजन बरेली से ही रात्रि के फोटोग्राफ क्यों मांगे जा रहे हैं अन्य सब डिवीजन से क्यों नहीं ? और किस आधार पर कहानी स्पष्ट करें ।	वांछित सूचना आर.टी.आई. अधिनियम 2005 के अनुरूप नहीं होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना आवश्यक नहीं है ।
9.	JE श्री सृजन रस्तोगी द्वारा सभी सपोर्ट स्टाफ को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है ₹9000 की नौकरी करने वाले सपोर्ट स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है केंद्रीय जल आयोग के उच्च अधिकारियों द्वारा इस संबंध में कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है और किस आधार पर? कारण स्पष्ट करें ।	वांछित सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं है ।
10.	JE श्री सृजन रस्तोगी को सब डिवीजन बरेली के 5 सुपरवाइजरो की एक गलती नजर नहीं आती है और सपोर्ट स्टाफ की एक-एक गलती नजर आती है । ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है और सब डिवीजन बरेली में और किस आधार पर? कारण स्पष्ट करें ।	वांछित सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं है ।
11.	केंद्रीय जल आयोग की साइट भटपुरा जिला सीतापुर (उत्तर प्रदेश) में JE श्री सौरभ दुबे और अधिशासी अभियंता श्री	वांछित सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं है ।

	सर्वजीत कुमार सिंह ने मिलकर वहां पर खड़े नीम के पेड़ यूकेलिप्टस के पेड़ और आम के पेड़ कुल मिलाकर लगभग 12 पेड़ कटवा कर बेच लिए जिसकी कुछ कीमत से आधी छोटी दीवार बनवा ली और बाकी पैसा हजम कर गए काटे गए नीम के पेड़ व आम के पेड़ की परमीशन S.D.M. या वन विभाग से ली होगी उसकी एक प्रति प्रार्थी को उपलब्ध करवाने की कृपा करें अगर नहीं दे सकते तो क्यों और किस आधार पर? कारण स्पष्ट करें ।	
--	---	--

उक्त आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है ।

भवदीय ।



(अधिशायी अभियंता)

प्रतिलिपि सादर सूचनार्थ -

अधीक्षण अभियंता (समन्वय), ऊपरी गंगा बेसिन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ ।



पत्रांक 01/21/2024/स्था.-1/आर.टी.आई./म.ग.म-2/ 2837-38

दिनांक 03.10.2024

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता
जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल
केन्द्रीय जल आयोग
देहरादून।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत श्री अमरजीत सिंह का दिनांक 03.09.2024 के आवेदन के संबंध में।

संदर्भ: आपका ई मेल दिनांक 18.09.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रांक के अनुपालन में निम्नलिखित विवरण के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत श्री अमरजीत सिंह द्वारा वांछित सूचना निम्नवत् है-

क्रम सं.	मांगी गई सूचना	इस कार्यालय की सूचना
1.	9 फरवरी, 2024 को हुए आउटसोर्सिंग स्टाफ के नये टेंडर की एक प्रति प्रार्थी को उपलब्ध करवाने की कृपा करे अगर नहीं दी जाती है तो क्यों और किस आधार पर ? कारण स्पष्ट करें।	टेंडर से संबंधित दस्तावेज कुल 144 पेज का है जिस हेतु इस कार्यालय को कुल $144 \times 2 = 288$ रु. उपलब्ध कराने का कष्ट करे जिससे सूचना उपलब्ध कराई जा सके।
2.	मानसून सत्र में रात्रि का फोटो किस किस सब डिवीज़न में 1 जुलाई से 31 अगस्त तक आया है, सभी सब डिवीज़नो में डाला जा रहा है तो उसकी फोटो एक-एक प्रति प्रार्थी को उपलब्ध कराने की कृपा करे अगर नहीं दी जाती है तो क्यों और किस आधार पर? कारण स्पष्ट करें। फोटो प्रति प्राप्त करने का शुल्क का भुगतान प्रार्थी करेगा।	फोटो का उपयोग कार्यालय में डाटा की वैधता की जाच कराने में किया जाता है। साथही अवगत कराना है इस प्रकार का कोई भी डाटा कार्यालय में स्थाई तौर पर संरक्षित नहीं किया जाता है।
3.	अधिशासी अभियंता श्री सर्वजीत कुमार सिंह ने सपोर्ट स्टाफ के टेंडर बनाने से पहले सभी 83 साइटों को निरीक्षण किया था? अगर किया था तो साइटों पर रुकने की समस्या रोड से 2:30 से 4 किमी अंदर जंगली इलाकों में जाने की समस्या के बावजूद टेंडर में डिजिटल डाटा क्यों दर्शाया गया और किस आधार पर? सही व सत्य कारण स्पष्ट करें।	उपरोक्त से संबंधित कोई भी सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
4.	केन्द्रीय जल आयोग में जनसूचना अधिकारी अधिनियम 2005 के तहत सूचनाएं माँगने पर ससमय सूचना प्रार्थी को नहीं दी जाती है अधिकारी इसका उल्लंघन क्यों और किस आधार पर करते हैं ? कारण स्पष्ट करें।	उपरोक्त से संबंधित कोई भी सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
5.	केन्द्रीय जल आयोग में विभिन्न स्थानों पर कार्यरत सपोर्ट स्टाफ से अधिकारीगण कोई विभागीय कार्य करवाते हैं तो आर्डर लिखित में क्यों नहीं दिया जाता है BY मैसेज क्यों दिया जाता है और किस आधार पर ? कारण स्पष्ट करें।	उपरोक्त से संबंधित कोई भी सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

-----क्रमशःपेज 2/-----





----- 2 -----

6.	केंद्रीय जल आयोग में अगर किसी JE या अधिकारी के गलत कार्य करने व गलत व्यवहार की शिकायत की जाती हैं तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने की वजाय उच्च अधिकारीगण उसको बचाने का रास्ता तलाश करते लगते हैं ऐसा क्यों और किस आधार पर किया जाता है ? कारण स्पष्ट करें ।	उपरोक्त से संबंधित कोई भी सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
7.	JE श्री सृजन रस्तोगी, साइट मीरगंज, धनेटा, शेरगढ़ के नाम पर फर्जी दूर बना कर सरकारी गाड़ी से वाहन सं० UP25 DA 8553 अपनी ससुराल गए हैं इस मामले में अभी तक न तो गाड़ी के ड्राइवर से उसका टोल स्टेटमेंट मांगा गया है और न ही कोई उचित कार्यवाही हुई ऐसा क्यों हुआ और किस आधार पर? कारण स्पष्ट करें ।	उपरोक्त से संबंधित कोई भी सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
8.	सब डिवीज़न बरेली से ही रात्रि के फोटोग्राफ क्यों मांगे जा रहे है अन्य सब डिवीज़न से क्यों नहीं? और किस आधार पर कारण स्पष्ट करें ।	उपरोक्त से संबंधित कोई भी सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
9.	JE श्री सृजन रस्तोगी द्वारा सभी सपोर्ट स्टाफ को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है 90000 की नोकरी करने वाले सपोर्ट स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है केंद्रीय जल आयोग के उच्च अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में कार्यवाही क्यों नहीं है क्यों नहीं की जा रही है और किस आधार पर? कारण स्पष्ट करें ।	उपरोक्त से संबंधित कोई भी सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
10.	JE श्री सृजन रस्तोगी को सब डिवीज़न - बरेली के 5 सुपरवाइजरों की एक गलती नजर नहीं आती है और सपोर्ट स्टाफ की एक - एक गलती नजर आती हैं । ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है सब डिवीज़न बरेली में और किस आधार पर? कारण स्पष्ट करें ।	उपरोक्त से संबंधित कोई भी सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
11.	केंद्रीय जल आयोग की साईट - भटपुरवा जिला - सीतापुर (उ० प्र०) में जे० ई० श्री सौरभ दुबे और अधिशासी अभियंता श्री सर्वजीत कुमार सिंह ने मिलकर वहां पर खड़े नीम के पेड़ यु० के० लिपिट्स के पेड़ और आम के पेड़ कुल मिलाकर लगभग 12 पेड़ कटवा कर बेच लिए जिसकी कुछ कीमत से आधी टूटी दीवार बनवा ली और बाकी पैसा हजम कर गये काटे गये नीम के पेड़ व आम के पेड़ की परमिशन SDM या वनविभाग से ली होगी उसकी एक प्रति प्रार्थी को उपलब्ध करवाने की कृपा करे अगर नहीं के सकते तो क्यों और किस आधार पर ? कारण स्पष्ट करें ।	उपरोक्त से संबंधित कोई भी सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

भवदीय,

(Signature)
03/10/24

(सर्वजीत कुमार सिंह)

अधिशासी अभियंता

प्रतिनिधि अधीक्षण अभियंता (सम०), ऊपरी गंगा बेसिन-संगठन, के० ज० आ० लखनऊ के सूचार्थ।

